purchase from small-scale and medium-scale indnstries ?

THE MINISTER OF SUPPLY (SHRI D. R. CHAVAN) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-441/71].

(d) Purchases are made on the basis of the lowest technically acceptable offers after calling for quotations. In cases of items where offers are received both from large scale and small scale units, the small scale units are accorded reasonable price preference upto a maximum of 15% on tender to tender basis, the actual quantum being decided on the merits of each case. No item has been exclusively reserved for purchase from the medium scale industries.

167 items have been reserved for exclusive purchase from the small scale sector.

Investment of Employees Provident Fund

2449. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the Employees Provident Fund money is permissible to be invested in fast mortgage debentures of companies : and

(b) if so, the categories in which it is permissible to invest the Employees Provident Fund money ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) No.

(b) The question does not arise. However, in accordance with the present pattern, the investment of Provident Fund money in respect of unexempted and exempted establishments is to be made as follows :—

(i) in Central Govt. securities.	Not less than 45%
(ii) in State Govt. securities, the securities guaranteed by the Central Govt. or the State Govt., in the tax-free Small Savings securities and in the 1 year, 3 year and 5 year Time Deposits in Post Offices.	Balance

मध्य प्रदेश में गेहूं की वसूली

2450. **श्री फूल चंद वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश से 50 हजार टन गेहूँ की मांग की है ; और

(ख) यदि हां तो गेहूँ किस मूल्य पर मांगा गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी. शिन्दे) : (क) जी नहीं । किसानों को सहाय्य मूल्य दिलाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों की भांति मध्य प्रदेश में भी गेहूँ खरीदा जा रहा है । कृषि मूल्य आयोग ने मध्य प्रदेश के लिए 1971-72 के विपणन मौसम में 50,000 मी. टन गेहूँ की अधिप्राप्ति करने के लक्ष्य की सिफारिश की है ।

(ख) देशी लाल गेहूं 74 रुपये प्रति क्विंटल तथा औसत उचित किस्म के अनाजों की अन्य किस्में 76 रुपये प्रति क्विंटल के अधिप्राप्ति मूल्य पर खरीदी जा रही है ।

कर्मचारी भविष्य निधि तथा न्यास योजना

2451. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडे** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में स्थित कारखानों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना चालू की गई है; और यदि हां, तो लेखा परीक्षा और निरीक्षण की क्या व्यवस्था की गई है तथा उन पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जा रहा है;

(ख) क्या कुछ कारखानों में मालिकों तथा कर्मचारियों द्वारा मिलकर न्यास बनाए गए हैं ;

(ग) क्या उक्त पद्धति दोषपूर्ण है ; यदि हां, तो इसमें सुधार करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(घ) मध्य भारत मे मंदसौर और रतलाम में ऐसे कारखानों की संख्या तथा नाम क्या हैं जहां कर्मचारी भविष्य निधि योजना को न्यास योजना के अनुरूप चलाया जा रहा है ; और

(ङ) उक्त प्रत्येक कारखाने में जमा भविष्य निधि की कुल राशि क्या है तथा किस एजंसी के पास यह धन जमा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है । भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना ऐसे कारखानों/प्रतिष्ठानों पर लागू होती जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं और जो कुछ विशिष्ट उद्योगों में रत हैं । प्रशासन लेखे सहित निधि के लेखे, भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए और संगठन में स्थापित आंतरिक लेखा-परीक्षादलों द्वारा भी जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परीक्षित किए जाते हैं । छूट प्राप्त और छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों का भी भविष्य निधि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि इस योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानो के नियोजक साविधिक उपबन्धो को लागू कर रहे हैं और यदि नहीं, तो उन्हे लागू करने के लिए कार्यवाही की जा सके ।

(ख) ऐसे प्रतिष्ठानो को, जिसमें भविष्य निधि, उपदान और पेंशन के रूप मे ऐसे सेवा-निवृत्ति लाभ हैं जो अधिनियम और योजना के अधीन दिए जाने वाले लाभों से कम लाभप्रद नहीं हैं, इस योजना के उपबन्धो से अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट दी जाती है । छूट देने की एक शर्त ऐसा न्यासी बोर्ड स्थापित करना है जिसमें नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधि समान संख्या मे नामित किए जाते हैं और जिसमें निधि निहित है ।

(ग) जी नहीं । तथापि, जहां अधिनियम के उपबन्धों से छूट की शर्तों का उल्लंघन होता है, वहां छूटें रद्द की जा सकती हैं या प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अधिनियम के अधीन अभियोजन चलाए जा सकते है ।

(घ) और (ङ). रतलाम और मंदसौर में स्थित प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [ग्रन्थालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT—442/71]